अध्याय ।

राजस्व विभाग – सेवा कर

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा एकत्रित सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियेां का सार चित्रित करती है जो वि व 14 के लिए ₹ 55,83,092 करोड़[1] थी। इनमें से उसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 15,36,024 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

क. कुल राजस्व प्राप्तियां	15,36,024
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	6,38,596
ii. *अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	5,00,400
iii. *अनुदान सहायता एवं अंशदानों सहित गैर कर प्राप्तियां*	3,97,028
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	27,553
ग. कर्जे तथा उधारों की वसूली	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**55,83,092**
नोट: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग ₹ 3,18,230.00 करोड़ शामिल है।	

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)

[1] स्रोत: वि व 14 का संघ वित्त लेखा आंकड़े अनन्तिम है। अन्य कर सहित प्रत्यक्षकर प्राप्तियां तथा अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वि व 14 के संघ वित्त लेखे से परिकलित किए गए है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित[2] किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा[3] शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी (44) में "सेवा" परिभाषित की गई है।

यह अध्याय वित्त लेखे, विभागीय लेखाओं से डाटा और लोक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध डाटा का उपयोग कर सेवा कर में प्रवृत्तियों, संघटन तथा सर्वांगी विषयों पर चर्चा करता है।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित सचिव(राजस्व) दो सांविधिक बोर्डों

[2] 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

[3] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देती है।

नामतः, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

23 उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर क्षेत्रों के संबंधित मुख्य आयुक्तों के अधीन एक सौ चार कमिश्निरियां कार्य करती हैं। इनमें से सतत्तर कमिश्नरियां (7 एक मात्र सेवा कर कमिश्नरियां, 66 समन्वित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियां और 4 बडी करदाता यूनिट (एलटीयू) कमिश्नरियां) सम्पूर्ण देश में सेवा कर के निर्धारण तथा संग्रहण में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने सेवा कर संबंधित कार्य[4] के समन्वय के लिए 1997 में अधीनस्थ कार्यलय के रूप में महानिदेशक, सेवा कर (डीजीएसटी) का कार्यालय गठित किया है।

31 मार्च 2014 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत स्टाफ संख्या 68793 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट I** में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि –प्रवृत्तियां तथा संघटन

तालिका 1.2 वि व 10 से वि व 14 के दौरान प्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि चित्रित करती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की %	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि व 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39.29
वि व 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि व 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि व 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	45.80
वि व 14	5,00,400	1,13,55,073	4.41	11,38,996	43.93

स्रोत: वित्त वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

[4] डीजीएसटी वर्तमान में मुम्बई से कार्य करता है।

यह देखने में आता है कि जीडीपी तथा सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष कर संग्रहण वि व 13 की तुलना में वि व 14 में कम हो गया है जबकि यह स्थिर रूप में बढ़ा है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – सापेक्ष अंशदान

तालिका 1.3 वि व 10 से वि व 14 तक की अवधि के लिए जीडीपी शब्दों में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संघटकों की समद्देयी चित्रित करती है। प्रमुख प्रत्यक्ष करों का सापेक्ष राजस्व अंशदान **चार्ट 1.1**।

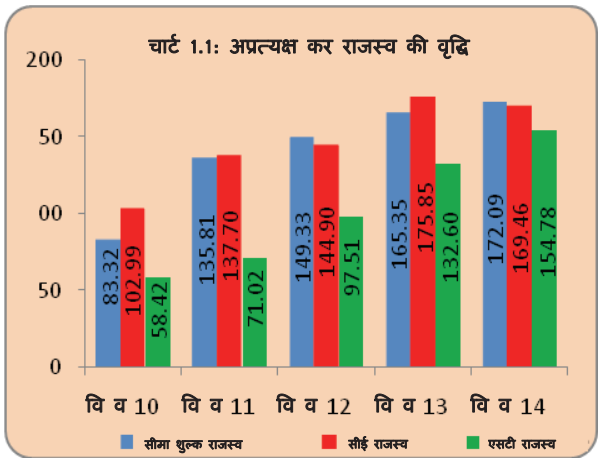

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सीमाशुल्क राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	के.उ.शु राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के % रूप में सेवा कर राजस्व
वि व 10	64,77,827	83,324	1.29	1,02,991	1.59	58,422	0.90
वि व 11	77,95,314	1,35,813	1.74	1,37,701	1.77	71,016	0.91
वि व 12	90,09,722	1,49,328	1.66	1,44,901	1.61	97,509	1.08
वि व 13	101,13,281	1,65,346	1.63	1,75,845	1.74	1,32,601	1.31
वि व 14	113,55,073	1,72,085	1.52	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकडे संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखाओं के अनुसार हैं। वि व 14 के अनन्तिम हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व के संबंध में शेयर अवनत हुआ है जबकि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर का शेयर वि व 14 के दौरान बढ़ा है।

1.6 सेवा कर की वृद्धि- प्रवृत्तियां एवं संरचना

तालिका 1.4 वि व 10 से वि व 14 के दौरान सम्पूर्ण और जीडीपी निबंधनों में सेवा कर की वृद्धि प्रवृत्तियों को चित्रित करती है।

तालिका 1.4: सेवा कर की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर	जीडीपी के % रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सेवा कर
वि व 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	58,422	0.90	9.35	23.81
वि व 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	71,016	0.91	8.95	20.56
वि व 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	97,509	1.08	10.97	24.83
वि व 13	1,01,13,281	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.31	12.79	27.93
वि व 14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,54,780	1.36	13.59	30.93

स्रोत: वित्त लेखे वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व ने अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में सेवा कर गत पाँच वर्षों के दौरान 0.90 प्रतिशत से 1.36 प्रतिशत तक पहुँच गया है। सम्पूर्ण सेवा कर ने वि व 14 के दौरान सकल कर राजस्व के 13.59 प्रतिशत अंशदान किया है।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

तालिका 1.5 सेवाओं की प्रमुख पाँच श्रेणियों से संग्रहीत सेवा कर चित्रित करती है।

तालिका 1.5: प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वि व 10	वि व 11	वि व 12	वि व 13	वि व 14
दूर संचार	2,885	3,902	5,402	7,538	12,643
सामान्य बीमा प्रीमियम	3,126	3,877	5,234	6,321	8,834
कार्य ठेका	1,849	3,092	4,179	4,455	7,434
जन शक्ति भर्ती	2,077	2,870	3,847	4,432	7,335
बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं	4,066	4,345	5,876	4,964	7,185

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम वित्त लेखे के अनुसार हैं

यह पाया जाता है कि सेवा कर संग्रहण के लिए दूर संचार तथा सामान्य बीमा प्रीमियम सेवाओं का शिखर पर होना जारी है।

पाई चार्ट 1.2 वि व 14 के दौरान प्रमुख सेवाओं के समग्र अंशदान को चित्रित करता है।

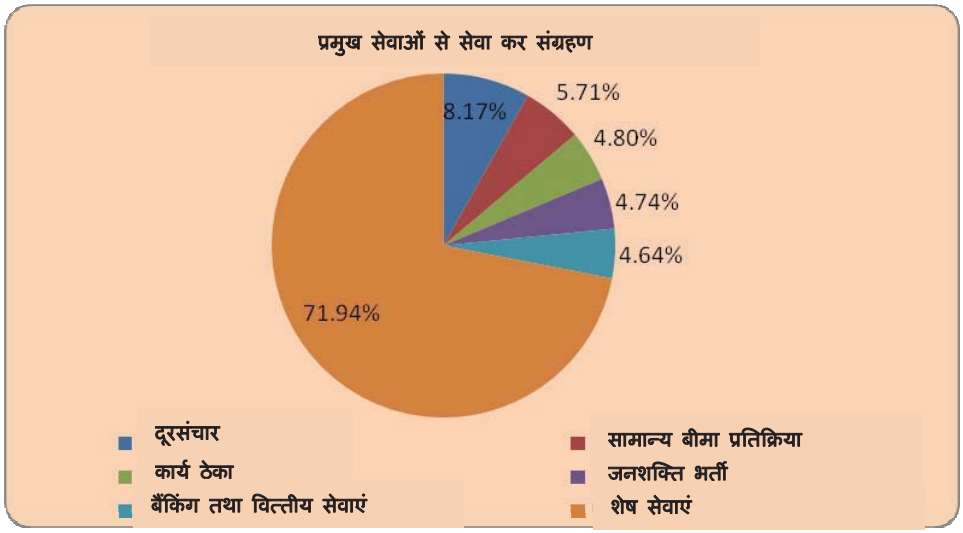

यह पाया जाता है कि शिखर पाँच श्रेणी सेवाओं ने सकल सेवा कर संग्रहण का 28 प्रतिशत योगदान किया।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा(वि व 10 से वि व 14 तक से संबंधित) चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	निर्धारितियों की संख्या जिन्होने विवरणी दाखिल की
वि व 10	109	13,39,812	9.27	55,405
वि व 11	117	14,94,449	11.54	1,79,344
वि व 12	119	16,76,105	12.16	7,06,535
वि व 13	All*	18,71,939	11.68	6,08,013
वि व 14	All*	12,76,861	(-)31.79	10,04,812

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

*ऋणात्मक सूची के अतिरिक्त

यह पाया जाता है कि यद्यपि वि व 14 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 32 प्रतिशत तक घट गई थी परन्तु निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 13 की तुलना में विवरणियां दाखिल कीं, की संख्या में वृद्धि हुई है।

मंत्रालय को निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 13 की तुलना में स्थिर शब्दों तथा सेवा कर पंजीकरण की संख्या की प्रतिशतता दोनों में वि व 14 के दौरान विवरणी दाखिल की है, की संख्या में सुधार के लिए प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है।

एक ओर निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 14 के दौरान विवरणी दाखिल की है, की संख्या वि व 13 की तुलना में 66 प्रतिशत तक बढ़ी है तथापि दूसरी ओर सेवा कर राजस्व में वर्ष के दौरान मात्र 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जो संबंधित पूर्व वर्षों की तुलना में वि व 13 तथा वि व 12 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि से भी कम है।

1.9 सेवा कर में बजटीय मामले

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के बजट अनुमानों और संगत वास्तविकों की तुलना चित्रित करती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आररईके बीच % ता अन्तर
वि व 10	65,000	58,000	58,422	(-)6,578	(-)10.12	0.73
वि व 11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	2.33
वि व 12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2.64
वि व 13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
वि व 14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15

स्रोत: संघ वित्त लेखे तथा संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज
वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम वित्त लेखे के अनुसार हैं।

यह पाया जाता है कि सेवा कर वास्तविक संग्रहण वि व 14 के दौरान 14.08 प्रतिशत तक बजट अनुमानों से कम रहा।

1.10 वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर

बजट दस्तावेजों के पठन से पता चला कि प्रत्यक्ष कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा –शुल्क के लिए छोड़े गए राजस्व के व्यौरे 2006-07 के बजट से आरंभ कर संबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 6 के पैराग्राफ 1.12 में उल्लिखित समान मामले के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पर्याप्त डाटा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

इसी विषय की अपनी तीसरी रिपोर्ट में कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि:-

> "सेवा कर के संबंध में 2014 की सीएजी रिपोर्ट सं. 6 से यह पाया गया है कि छोड़े गए राजस्व आंकड़े मुख्यतया पर्याप्त डाटा के अभाव के कारण उपलब्ध नहीं हैं। जैसा सीएजी द्वारा अवलोकन किया गया, इसका अर्थ निकलेगा कि विभाग अन्तर विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में विभाग का अभिगम एसीईएस से डाटा बहिर्वेशन करने का रहा है (क्षेत्र आधारित छूट योजना के कारण छोड़ा गया शुल्क संबंधित केन्द्रीय उत्पाद क्षेत्र से अलग से प्राप्त किया गया है)। इसी प्रकार सेवा कर के लिए विभाग छोड़े गए राजस्व आंकड़ों का अनुमान करने के रास्तों पर विचार करे और अन्तर विश्लेषण करे"

अक्तूबर 2011 से सेवा कर विवरणी के अनिवार्य ई फाइलिंग के परिणामत: विभाग सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व विवरण तैयार करने पर विचार करे।

1.11 व्यापार सरलीकरण

1.11.1 बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) का सृजन

व्यापार सुविधा के लिए विभाग ने एलटीयू का गठन किया है। एक एलटीयू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा निगम कर से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल खिड़की निर्बाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने वाला राजस्व विभाग के अधीन स्वत: पूर्ण कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण का विकल्प देते हैं, ऐसे एलटीयू में अपनी उत्पाद विवरणी, प्रत्यक्ष कर विवरणियां तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने के योग्य होंगे और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनके अन्तर्गत सभी इन करों को निर्धारित किए जाएंगे। ये यूनिटें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों को फाइल करने, बट्टा/प्रतिदायों के दावे, विवादों का निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित जनशक्ति से सज्जित किए जा रहे हैं। व्यापार सरलीकरण के लिए दिल्ली, मुम्बई, बैंगलुरू तथा चेन्नई में चार एलटीयू स्थापित किए गए हैं।

1.11.2 केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन

केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में से एक है1 यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जबावदेही तथा दक्षता सुधारना है। यह अनुप्रयोग वेब आधारित तथा वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर में सभी प्रमुख कार्यविधियों को स्वचालित किया है।

1.12 सेवा कर का बकाया

उपचित परन्तु वसूल न किए गए राजस्व की वसूली की विभिन्न विधियों का कानून प्रावधान करती है। इसमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशियों, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन करना, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल होते हैं।

तालिका 1.8 बकाया राजस्व की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8 बकाया वसूली – सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के आरंभ में बकाया के % के रूप में संग्रहण
वि व 12	14,340	1,669	11.40
वि व 13	20,361	2,322	11.40
वि व 14	39,537	1,232	3.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकडे

यह चिन्ता का विषय है कि वि व 14 के दौरान बकाया के अनुपात के रूप में संग्रहण वि व 13 में 11.40 प्रतिशत की तुलना में 3.12 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गया है। विभाग के वसूली तंत्र की सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

डीजीसीईआई तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कमिश्नरियां सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ कमिश्नरियों शुल्क अपवंचन के विरूद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसे संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों में बांटी जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है।

तालिका 1.9 (क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(क): गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों	राशि	
वि व 12	452	4,919	434
वि व 13	835	5,131	880
वि व 14	1,191	8,032	1,489

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि सेवा कर मामलों की संख्या और डीजीसीईआई द्वारा खोजी गई राशियां वि व 13 तथा वि व 12 की तुलना में वि व 14 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ गई।

तालिका 1.9 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(ख): गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
वि व 12	3,403	6,748	823
वि व 13	5,875	7,827	2,819
वि व 14	8,024	6,810	3,614

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि कमिश्नरियों द्वारा खोजे गए मामलों की संख्या और राशि गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ़ी है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.14 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया। स्वनिर्धारण काल में भी विभागीय अधिकारियों का कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की पुष्टि किया जाना जारी है क्योंकि ये वे हैं जो कर भुगतान[5] की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक देयता रखते हैं। यह सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो आगे जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन किए जाते हैं। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 परिकल्पना करती है कि संवीक्षा दो चरणों, अर्थात विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा, जो एसीईएस अनुप्रयोग द्वारा की जानी है और निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप से की जानी है, में की जानी है।

[5] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 पैरा 1.2.1 क

1.14.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण शुल्क का समय से भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की गणितीय यथार्थता और फाइल न करने वालों और फाइल करना बंद करने वालों[6] की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.10 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.10 सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में दाखिल विवरणियों की सं.	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का %	आरएण्डसी के बाद मुक्त विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	सुधार लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि व12	9,09,718	7,00,066	76.95	83,664	6,16,397	88.05
वि व13	22,42,332	18,42,137	82.15	3,67,256	14,74,874	80.06
वि व14	22,97,335	7,95,581	34.63	84,944	7,10,637	89.32

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलों की काफी उच्च प्रतिशतता समीक्षा तथा सुधार (आरएण्डसी) के लिए चिन्हित है। एसीईएस द्वारा आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की प्रतिशतता वि व 14 में 34.63 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गई जो एक स्वस्थ संकेत है और एसीईएस की स्थिरीकरण दर्शाता है और इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है। यह भी पाया जाता है कि आरएण्डसी हेतु चिन्हित 89.32 प्रतिशत विवरणियां 31 मार्च 2014 को लंबित थीं। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा लागू करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य विस्तृत मानवीय संवीक्षा हेतु जनशक्ति निर्मुक्त करना था जो तब रेंज/ग्रुप[7] का मुख्य कार्य बन सकेगा, आरएण्डसी पहचान के बाद सुधार हेतु लम्बन की उच्च संख्याए दर्शाती हैं कि वे प्राप्त किए जाने से काफी दूर हैं।

[6] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

[7] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.ख

आरएण्डसी हेतु ऊपर उठाया होने पर संवीक्षित विवरणियों की काफी उच्च प्रतिशतता और लंबित सुधार कार्रवाई विवरणियों की परिणामी उच्च संख्या एसीईएस अनुप्रयोग में कमियों के संकेत हैं जिसकी विभाग को शीघ्र ही समाधान करने की आवश्यकता है। एसीईएस में विवरणियों के आरएण्डसी का समापन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए पूर्व अपेक्षा है। विवरणियों की बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लंबित थीं जिसमें सेवा कर संग्रहण की सत्यता का जोखिम है।

1.14.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करना और मूल्यांकन, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त वर्गीकरण तथा कर की प्रयुक्त प्रभावी दर आदि[8] की सत्यता सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा कर दाताओं[9] द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में भेजी गई सूचना से विकसिक जोखिम प्राचलों के आधार पर अभिज्ञात केवल कुछ चयनित विवरणियों को कवर करना है।

तालिका 1.11 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.11 सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा लंबित थी	लम्बन का समय वार विश्लेषण		
				छः माह से एक वर्ष के बीच	एक तथा दो वर्ष के बीच	2 वर्षों से अधिक
वि व 12	11,425	3,380	8,045	5,667	1,959	419
वि व 13	23,838	2,743	21,095	19,791	934	370
वि व 14	44,045	16,201	27,844	12,974	5,174	17,636

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े।

[8] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

[9] सीबीईसी परिपत्र 113/7/2009-एसटी दिनांक 23 अप्रैल 2009

निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विस्तृत सवीक्षा[10] में केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सम्पूर्ण वर्ष में संवीक्षा की जानेवाली विवरणियों की कुल संख्या किसी रेंज के संबंध में काफी कम होगी क्योंकि लंबित मामलों की कुल संख्या 31 मार्च 2014 को सभी रेजों (2,272) में केवल 44,045 थी।

यह चिन्ता का कारण है कि विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की बड़ी संख्या (27,844) 31 मार्च 2014 को लंबित थी क्योंकि गवन के मामलों के अतिरिक्त निधारिती[11] द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख से 18 माह के बाद किसी निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है। यह अनिवार्य है कि विभाग लम्बे लम्बन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कदम उठाये, ताकि सरकार को प्राप्त राजस्व की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आगे पाया गया था कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की विशाल संख्या दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी।

यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए लम्बन का काल वार विश्लेषण का डाटा वि व 14 के लिए सही नहीं है।

1.15 न्याय निर्णय

न्यायनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया अन्य बातों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं का सोच विचार विकसित कर सकती है। न्याय निर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

[10] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियम पुस्तक 2009 पैरा 4.2 क

[11] 28 मई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2012 द्वारा 1 वर्ष के लिए स्थानापन्न वित्त अधिनियम की धारा73 (1) में 18 महीने

तालिका 1.12 सेवा कर न्याय निर्णय का कालवार विश्लेषण चित्रित करता है।

तालिका 1.12 विभागीय अधिकारियों के पास न्यायनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		मामलों के कालवार ब्यौरें					
			< 1 वर्ष		1-2 वर्ष		>2 वर्ष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि व12	17,182	68,509	12,735	51,193	3,054	15,770	1,393	1,546
वि व13	22,690	64,599	18,212	48,157	3,382	14,724	1,096	1,718
वि व14	19,925	31,790	15,512	21,868	3,625	8,856	758	1,062

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि ₹ 31,000 करोड़ से अधिक राजस्व निहितार्थ वाले निर्णय 31 मार्च 2014 को अन्तिमीकरण को लम्बित थे। यह भी पता चला है कि 758 मामले 2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे।

1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान

तालिका 1.13क विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति चिन्हित करती है। चित्रित विलम्ब दावों के संसाधन हेतु अपेक्षित सभी ब्यौरों के साथ प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से लिए गए समय के अनुसार है।

तालिका1.13 (क) सेवा कर के प्रतिदाय दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	वर्ष के दौरान निपटाए दावों की संख्या				ब्याज भुगतान	
		निपटान की कुल संख्या	3 माह के अन्दर और निपटानों का %	विलम्ब से निपटाए दावे			
				< 1 वर्ष	> 1 वर्ष	मामलों की सं.	प्रदत्त ब्याज
वि व 12	27,120	18,306	13,209 (72%)	1,705 (20 %)	3,392 (8%)	2	0.02
वि व 13	26,672	15,897	12,328 (77%)	1,880 (12%)	1,689 (11%)	1	0.12
वि व 14	23,145	13,979	11,445 (81.87%)	1,494 (10.69%)	1040 (7.44%)	0	0

स्रोत:मंत्रालय द्वारा भेजे आंकड़े

यह पाया जाता है कि लगभग 80 प्रतिशत सेवा कर सम्बन्धित प्रतिदाय दावे निपटान तीन माह[12] की निर्धारित अवधि के अन्दर किए गए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान के लिए विभाग पर देयता है, विभाग अधिकांश मामलों में निर्धारितियों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड प्रत्यक्ष करों के समान अपनी ओर से विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने पर विचार करें।

तालिका 1.13 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निपटान के लिए लम्बित प्रतिदाय मामलों का कालवार विश्लेषण चित्रित करती है

तालिका 1.13 (ख) 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का कालवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष में प्राप्त दावे	31 मार्च को लम्बित दावों की कुल सं.		से लम्बित प्रतिदाय दावे			
				एक वर्ष से कम संख्या		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि व12	24,412	6,104	60,757	4,276	46,191	1,828	14,566
वि व13	23,803	7,906	41,874	5,824	30,018	2,082	11,856
वि व14	23,145	8,154	4,487	6,391	3,582	1,763	905

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे आंकड़े

यह पाया जाता है कि यद्यपि लम्बित प्रतिदाय दावों की कुल संख्या वि व 13 की तुलना में वि व 14 में 248 तक बढ़ गई है परन्तु अन्तर्ग्रस्त राशि ₹ 37,387 करोड़ तक प्रबल रूप से कम हो गई है जिसकी जांच की जानी आवश्यक है।

[12] केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 11बीबी वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा83 द्वारा सेवा कर को लागू बनाई गई है।

1.17 संग्रहण की लागत

तालिका 1.14 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत चित्रित करती है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत
वि व10	1,02,991	58,422	1,61,413	2,127	1.32
वि व11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि व12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि व13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि व14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के संघ वित्त लेखे

वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

यह पाया जाता है कि स्वचलन तथा आईसीटी के व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत का बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाना जारी है।

1.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडियाई माडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 चार भिन्न विशेषताएं: जोखिम विश्लेषण बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर जोर, सांविधिक अभिलेखों के प्रति कारबार अभिलेखों की संवीक्षा करना और लेखापरीक्षा बिन्दुओं का मॉनीटर, रखती है।

लेखापरीक्षा कार्यविधियां प्रारम्भिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना का एकत्रीकरण तथा दस्तावेजीकरण, आन्तरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा प्रवृत्तियों का जोखिम विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना विकसित करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार करना, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/मण्डल सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना और प्रतिवेदन को अन्तिम करना शामिल करती है।

लेखापरीक्षा ढांचा तीन भागों से बना है। महानिदेशक लेखापरीक्षा तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व बांटते हैं। जबकि निदेशालय लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण तथा कर अनुपालन सुधारने के लिए सीबीईसी को इसके पुनर्निवेशन और ग्राहक संतुष्टि के स्तर मापने के लिए उत्तरदायी है। वहीं कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकाल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, जोखिम प्रबन्धन नियम पुस्तक और ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने की नियम पुस्तक, जो लेखापरीक्षा करने की विस्तृत कार्यविधियां निधारित करती है, विकसित करने में एशिया विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.15 (क) लेखापरीक्षित यूनिटों की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा वि व 14 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए देय सेवा कर यूनिटों के ब्यौरे चित्रित करती है।

तालिका 1.15(क): वि व 14 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वार्षिक कर्तव्य का स्लैब (पीएलए +सेनवैट)	आवधिकता	देय यूनिटों की संख्या	नियोजित यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षित यूनिटों की सं.	लेखापरीक्षा में कमी (प्रतिशतता)
> ₹ 3 करोड़ एसटी का भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी क)	वार्षिक	4,417	2,649	2,354	46.71
₹ 1 तथा 3 करोड़ के बीच एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी ख)	द्विवार्षिक	3,726	2,779	1,823	51.07
₹ 25 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी ग)	पाँच वर्ष में एक बार	5,322	4,389	2,704	49.19
< ₹ 25 लाख एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी घ)	2 % प्रतिवर्ष	15,808	10,776	8,031	49.20

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि वि व 14 के दौरान यूनिटों की सभी श्रेणियों में देय लेखापरीक्षाओं की तुलना में की गई सेवा कर लेखापरीक्षाओं में भारी कमी थी।

विभाग द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.15 (ख) में तालिकाबद्ध हैं।

तालिका 1.15(ख): वष के दौरान जारी शून्य निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या					
	अनिवार्य यूनिटें(श्रेणी क)			गैर अनिवार्य यूनिटें (श्रेणी ख,ग,घ)		
	जारी कुल आई आर	जारी शून्य आई आर	शून्य आई आर का %	जारी कुल आई आर	जारी शून्य आई आर	शून्य आई आर का प्रतिशत
2011-12	1,411	179	12.69	9,419	1,478	15.69
2012-13	1,552	108	6.96	11,226	1,344	11.97
2013-14	1,871	110	5.88	11,171	1,341	12.00

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि श्रेणी क यूनिटों में शून्य निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या गैर अनिवार्य यूनिटों की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से निम्नतर हैं। मंत्रालय को सभी श्रेणी क (अनिवार्य) यूनिटों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.19 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षण मानक द्वितीय संस्करण 2002 के व्यावसायिक लेखापरीक्षण मानकों को नियोजित कर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचा 2009 के अनुसार प्रबन्ध किया गया था।

1.20 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

डीओआर, सीबीईसी और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल अभिलेखों /दस्तावेजों की जांच के साथ संघ वित्त लेखा से डाटा/अन्य पणधारी रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर उपयोग किए गए थे। हमारे महानिदेशक

(डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्होंने वि व 14 में 1086 यूनिटों (के.उ.शु. एवं सेवा कर) की लेखापरीक्षा का प्रबन्ध किया।

1.21 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 772.08 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 178 पैराग्राफ हैं। आपत्तियों के सामान्यतया तीन प्रकार: सेवा कर की गैर अदायगी, सेवा कर का कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना तथा उपयोग आदि थे। विभाग/ मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के रूप में ₹ 477.22 करोड़ के धन मूल्य वाले 171 पैराग्राफों के मामले में पहले ही सुधार कार्रवाई कर ली है और ₹ 130.29 करोड़ की वसूली सूचित की है।

1.22 लोक लेखा समिति (पीएसी)

पीएसी ने विस्तृत जांच के लिए बैंकिग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2012-13 की प्रतिवेदन सं. 15) को हाथ में लिया है।

1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

एक आश्वासन कि प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं पर्याप्त थीं और सीबीईसी द्वारा उनका पालन किया गया था, प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस वर्ष हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में अभियोजन तथा शास्तियों के प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की है। यह प्रतिवेदन 28 नवम्बर 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

1.24 सीएजी की लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में हमने ₹ 1904.98 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 874 पैराग्राफ (तालिका 1.16) शामिल किए थे।

तालिका 1.16: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि व10	वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	जोड़
शामिल पेराग्राफ		संख्या	194	199	152	151	178	**874**
		राशि	162.18	204.74	500.23	265.75	772.08	**1,904.98**
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	175	184	150	147	171	**827**
		राशि	121.31	185.69	498.65	262.29	477.22	**1,545.16**
	मुद्रण बाद	संख्या	9	11	1	6	--	**27**
		राशि	2.6	17.79	0.52	1.81	--	**22.72**
	जोड़	संख्या	184	195	151	153	171	**854**
		राशि	123.91	203.48	499.17	264.10	477.22	**1,567.88**
की गई वसूली	मुद्रण पूर्व	संख्या	112	122	88	95	92	**509**
		राशि	33.05	78.76	84.58	65.28	130.29	**391.96**
	मुद्रण बाद	संख्या	9	9	4	6	--	**28**
		राशि	2.6	2.24	0.85	1.81	--	**7.5**
	जोड़	संख्या	121	131	92	101	92	**537**
		राशि	35.65	81.00	85.43	67.09	130.29	**399.46**

स्रोत : सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह पाया जाता है कि मंत्रालय ने ₹ 1567.88 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 854 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 399.46 करोड़ की वसूली कर ली थी।